न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3604–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 01/2015–16/अपील

श्रीमती विधादेवी पत्नी श्री जगदीश सिंह कुशवाह
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर मध्यप्रदेश द्वारा
मुख्त्यारआम जगदीश सिंह कुशवाह
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार जिला
ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20–8–2015 के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के

समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा दिनांक 26–10–15 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि की आवेदिका भूमिस्वामी है और उसके द्वारा विधिवत् डायवर्सन कराया जाकर डायवर्सन शुल्क भी जमा किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम के अन्दर भूमि स्थित होने के कारण नगर निगम आयुक्त द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं । यह भी कहा गया कि आवेदक के पास कालोनाईजर का लायसेंस है और आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का बिना निराकरण किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत कयिा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने से आवेदिका द्वारा रुपये 96,70,000/– की वसूली हो जायेगी जिससे उससे अपूर्णनीय क्षति होगी । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका की ओर से स्थगन दिये जाने संबंधी ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपर कलेक्टर द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 172(5) की शर्तो का उल्लंघन किया गया है, आवेदिका द्वारा ना तो नगर एवं ग्राम निवेश से प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य के लिये मानचित्र स्वीकृत कराया गया है और ना ही संबंधित विभागों से अनुमतियॉ यथा कॉलोनाइजर लायसेंस, कॉलोनी विकास की अनुमति आदि ली गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी के

आदेश को स्थगित नहीं करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर